न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 25/2023

उनवान

चौथमल पुत्र लादूराम जाति रेगर निवासी गाडी मौहल्ला, नसीराबाद
---- प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री नितेश यादव

बनाम

राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
-- अप्रार्थी :– जरियें राज0 पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-: आदेश :- दिनांक :– 21.6.24

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम दिलवाडी तहसील नसीराबाद के हाल खाता संख्या 287 के खसरा नम्बर 1381/1935 रकबा 1.81 की आराजी प्रार्थी की एकल खातेदारी में है। प्रार्थी के पास उक्त आराजी पर आवागमन हेतु कोई रास्ता नही है। उक्त आराजी पर प्रवेश हेतु ग्राम आशापुरा के खसरा नम्बर 641 किस्म गै0मु0 रास्ता में से होकर खसरा नम्बर 602 में से होकर दक्षिण से उत्तर आवागमन करता है, जो अप्रार्थी की भूमि है। उक्त आराजी सिवायचक है। इस मार्ग के अतिरिक्त प्रार्थी के पास अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नही है। अतः प्रार्थी को ग्राम आशापुरा के हाल खसरा नम्बर 602 में से 30 फिट चौडा मार्ग उपलब्ध कराया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार नसीराबाद से रिपोर्ट तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता व राज0 पैरोकार के तर्को पर मनन किया गया। ग्राम व पटवार मण्डल दिलवाडी के हाल खसरा नम्बर 1381/1935 रकबा 1.81 की आराजी प्रार्थी की एकल खातेदारी में है। प्रार्थी का कथन है कि पास उक्त आराजी पर आवागमन हेतु कोई रास्ता नही है। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार उक्त आराजी में आवागमन हेतु 2 मार्ग प्रस्तावित किये गये है। प्रथम मार्ग मे ग्राम आशापुरा के सिवासचक खसरा नम्बर 602 में से 1107 वर्ग मीटर भूमि प्रस्तावित की गयी है। इस मार्ग को ग्राम आशापुरा के ही खसरा नम्बर 641 किस्म गै0मु0 रास्ता से जोडा जाना बताया गया है। खसरा नम्बर 641 की किसम रास्ता है जो 30–40 वर्ष से उपयोग में नही आन के कारण भौतिक रू से उपयोग में नही आ रहा है। रिपोर्ट में अन्य माग्र ग्राम दिलवाडी के खसरा नम्बर 1381, 1370, 1369, 1368, 1362, 1361 में से बताया गया है। उक्त मार्ग मे प्रस्तावित आराजी खातेदारी की है तथा खातेदार प्रकरण में पक्षकार नही है।

---2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

मार्ग संख्या 2 दीर्घतम भी है। अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नही होना बताया गया है। रिपोर्ट में प्रार्थी को रास्तें की आत्यतिंक आवश्यकता भी बतायी गयी है। प्रार्थी द्वारा अपने आवेदन में माग्र 1 में अंकित भूमि में से ही रास्ता चाहा है। धारा 251ए राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान खातेदार को अपनी कृषि जोत तक आवागमन हेतु नवीन रास्ता उपलब्ध कराने की है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः ग्राम आशापुरा के हाल खसरा नम्बर 602 रकबा 0.39 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी में से 30 फिट चौडा रास्ता कुल 1107 वर्ग मीटर रास्ता दिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी की डी0एल0सी0 दर से दो गुणा राशि 28093/ अक्षरे अठाईस हजार तिरयानवे रूपये मात्र राजकोष में जमा होने के बाद उक्त रकबा सिवायचक खातें में गै.मु. रास्ता दर्ज कने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद